न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 393/2019 (143/2019)
GCMS NO. : 2019/00087

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादी :–

1. कल्याणसिंह पुत्र किशोरसिंह
2. जेतसिंह पुत्र फतेहसिंह
जातियान– राजपूत निवासीगण–
डालीया बेरा, सांगावास
तहसील–जैतारण जिला–पाली।

1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.25/09/2019

उपस्थितः– 1. श्री अरुणसिंह राठौड, अधिबक्ता बादीगण।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 29/04/2022

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण की पैतृक पुश्तेनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सांगावास पटवार हल्का सांगावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा संख्या 213 रकबा 21–11 बीघा, खसरा नम्बर 214 रकबा 3–08 बीघा, खसरा नम्बर 217 रकबा 104–17 बीघा, खसरा नम्बर 200 रकबा 41–06 बीघा, खसरा नम्बर 203 रकबा 25–03 बीघा, खसरा नम्बर 215 रकबा 17–14 बीघा, खसरा नम्बर 216 रकबा 0–17 बीघा, खसरा नम्बर 218 रकबा 43–03 बीघा, खसरा नम्बर 218/276 रकबा 1–01 बीघा कुल खसरा 09 कुल रकबा 259 बीघा की कृषि भूमि आई हुई है जिसमे वादीगण अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज कास्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त सम्पत्ति वादीगण के पिता के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण मे वादीगण के लाड प्यार के एवं घर मे बोलचाल की भाषा मे लिये जाने वाले वादी संख्या एक का नाम बुधसिंह पुत्र किशोरसिंह व वादी संख्या दो का नाम नैनसिंह पुत्र फतेहसिंह के नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी संख्या एक का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम कल्याणसिंह पुत्र किशोरसिंह है तथा वादी संख्या दो का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम तेजसिंह पुत्र फतेहसिंह है जो वादीगण के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में भी वादी संख्या एक का नाम कल्याणसिंह पुत्र किशोरसिंह व वादी संख्या दो का नाम जेतसिंह पुत्र फतेहसिंह दर्ज है जो वादपत्र के साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:55:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

आवश्यक भाग माना जावे। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड मे चल रही है तथा इस रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 13/06/2019 को होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला तो पटवारी हल्का ने उक्त रोंग एन्ट्री को न्यायालय से दुरस्त करवाने का कथन किया जिसके सम्बन्ध में वादीगण की पैतृक पुश्तैनी सम्पति मे उक्त रोग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरुस्त करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादीगण का नाम जो राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया गया है जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड मे वादी संख्या एक अपना सही व वास्तविक व दस्तावेजी नाम कल्याणसिंह पुत्र किशोरसिंह व वादी संख्या दो अपना सही व वास्तविक व दस्तावेजी नाम जेतसिंह कात्याण पुत्र फतेहसिंह से दर्ज करने एवं इन्द्राज करवाने के अधिकारी वादीगण होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। वादीगण को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरकसरकारी योजनाओ से फायदा नहीं उठा पा रहे है न ही ऋण आदि व किसान कार्ड बन रहा है जिस पर सहखातेदारों से सम्पर्क किया तो उन्होने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का कथन किया इसलिए सहखातेदारों के विरुद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही गई है इसलिए उनको इस वादपत्र में प्रतिवादी पक्षकार समयोजित नहीं किया गया है। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा ८०(२) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 13/06/2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरुस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर बमुकाम खराडी तहसील जैतारण जिला पाली राज० में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकाकर एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। सरकारी पैरोकार/प्रतिवादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो सा. मि. है। सरकारी पैरोकार ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि सरहद मौजा सांगावास तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 213 रकबा 21.11 बीघा, खसरा नम्बर 214 रकबा 3-08 बीघा, खसरा नम्बर 217 रकबा 104-17 बीघा, खसरा नम्बर 200 रकबा 41-06 बीघा, खसरा नम्बर 203 रकबा 25-03 बीघा, खसरा नम्बर 215 रकबा 17-14 बीघा, खसरा नम्बर 216 रकबा 0-17 बीघा, खसरा नम्बर 218 रकबा 43-03 बीघा, खसरा नम्बर 218/276 रकबा [illegible] बीघा कुल खसरा 09 कुल रकबा 259 बीघा में बुधसिंह पुत्र [illegible]सिंह एवं नैनसिंह पुत्र फतेहसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 16:55:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

हिस्सानुसार दर्ज है। उपरोक्त खसरा नम्बरान में राजस्व रेकर्ड में बुधसिंह पुत्र किशोरसिंह एवं नैनसिंह पुत्र फतेहसिंह सहखातेदार के रूप में दर्ज है। बुधसिंह पुत्र किशोरसिंह को बचपन में इस नाम से पुकारते थे इसलिए इनके पिता किशोरसिंह की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण दर्ज करते समय भाइयों के साथ बुधसिंह पुत्र किशोरसिंह दर्ज किया गया। इसी अनुसार आज जमाबन्दी में दर्ज है। ग्राम सांगावास में जाकर मौका फर्द तैयार कर लोगों से पूछताछ करने एवं व्यक्तिगत दस्तावेज देखने से जॉच में पाया कि बुधसिंह पुत्र किशोरसिंह का नाम सभी सरकारी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, पेनकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता संख्या 51070259995 एवं राजस्थान पथ परिवहन में नौकरी के फॉटो पहचान-पत्र में कल्याणसिंह पुत्र किशोरसिंह कौम राजपूत दर्ज है। इसी प्रकार उपरोक्त खसरा नम्बरान में नैनसिंह पुत्र फतेहसिंह दर्ज है। नैनसिंह पुत्र फतेहसिंह के सही नाम के बारे में जानकारी करने पर मौका फर्द बनाकर जांच की गई। जॉच में पाया कि फतेहसिंह की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण दर्ज किया गया जिसमें अन्य भाईयों के साथ नैनसिंह पुत्र फतेहसिंह दर्ज किया गया। जबकि राजस्व रेकर्ड में आज भी इसी प्रकार दर्ज है। वास्तव नैनसिंह बोलचाल में कहते थे इसलिए लिख दिया गया, सही नाम जेतसिंह पुत्र फतेहसिंह है। संलग्न राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान-पत्र, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाता संख्या 8301564824-4 में भी जेतसिंह पुत्र फतेहसिंह दर्ज है। यह माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है। वाद में सहखातेदार व सहहिस्सेदार पक्षकार नहीं है। मौका एवं दस्तावेजों के अनुरूप बुधसिंह को कल्याणसिंह एवं नैनसिंह को जेतसिंह किया जाना उचित है।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र P/W 01, P/W 02, P/W 03, P/W 04, P/W 05, P/W 06 एवं P/W 07 पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील वादी राजस्व वाद बाबत घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया। ग्राम सांगावास की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खसरा संख्या 213, 214, 217, 200, 203, 215, 216, 218 व 218/276 में वादीगण बुधसिंह पुत्र किशोरसिंह एवं नैनसिंह पुत्र फतेहसिंह अन्य खातेदारों के साथ बतौर सह-खातेदार दर्ज है। साक्ष्य वादी में वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र P/W 01 वादी कल्याणसिंह पुत्र किशोरसिंह एवं P/W 02 वादी जेतसिंह पुत्र फतेहसिंह ने सशपथ यह कथन किया कि वादीगण के पिता के फौत होने पर फौतेदगी नामांतरण में वादीगण के लाड़ प्यार के [illegible] में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले वादी संख्या 1 का नाम बुधसिंह पुत्र किशोरसिंह एवं वादी संख्या 2 का नाम नैनसिंह पुत्र फतेहसिंह के नाम से नामांतरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी संख्या 1 का सही व वास्तविक नाम कल्याणसिंह पुत्र किशोरसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 16:55:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

है तथा वादी संख्या 2 का सही एवं वास्तविक नाम जेतसिंह पुत्र फतेहसिंह है। वादीगण के अन्य समस्त दस्तावेजों में वादी संख्या 1 का नाम कल्याणसिंह पुत्र किशोरसिंह व वादी संख्या 2 का नाम जेतसिंह पुत्र फतेहसिंह दर्ज है परन्तु भू-अभिलेख में वादी संख्या 1 का नाम बुधसिंह एवं वादी संख्या 2 का नाम नैनसिंह पुत्र फतेहसिंह दर्ज होने से वादीगण को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्श-2ए (वादी संख्या 1 का आधार कार्ड), प्रदर्श 3ए (वादी संख्या 1 का भामाशाह-कार्ड), प्रदर्श-4ए (वादी संख्या 1 का राशन कार्ड), प्रदर्श-5ए (वादी संख्या 1 राजस्थान परिवहन निगम परिचय पत्र), प्रदर्श-6ए (वादी संख्या 1 का ड्राईविंग लाईसेन्स), प्रदर्श-7ए (वादी संख्या 2 आधार कार्ड), प्रदर्श-8ए (वादी संख्या 2 बैंक डायरी), प्रदर्श-9ए (वादी संख्या 2 राशन-कार्ड), प्रदर्श-10ए (वादी संख्या 2 भामाशाह कार्ड), प्रदर्श-11ए (वादी संख्या 2 भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी संख्या 1 का नाम कल्याणिंह पुत्र किशोरसिंह एवं वादी संख्या 2 का नाम जेतसिंह पुत्र फतेहसिंह है।

वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में गवाह का शपथ-पत्र P/W 03 रूपसिंह पुत्र अनोपसिंह, P/W 04 जब्बरसिंह पुत्र फतेहसिंह, P/W 05 मांगुसिंह पुत्र उदयसिंह, P/W 06 श्यामसिंह पुत्र सुल्तानसिंह, P/W 07 पुनमसिंह पुत्र सुल्तानसिंह प्रस्तुत किये। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त सभी गवाह वादग्रस्त आराजी में बतौर सह-खातेदार दर्ज हैं। गवाह कल्याणसिंह पुत्र किशोरसिंह, जैतसिंह पुत्र फतेहसिंह, रूपसिंह पुत्र अनोपसिंह, जब्बरसिंह पुत्र फतेहसिंह, मांगुसिंह पुत्र उदयसिंह, श्यामसिंह पुत्र सुल्तानसिंह, पुनमसिंह पुत्र सुल्तानसिंह ने सशपथ यह कथन किये कि वादग्रस्त आराजी के सह-खातेदार होने से वादीगण को भली-भांति जानते एवं पहचानते है तथा वादीगण पारिवारिक सदस्य है तथा वादी संख्या 1 का सही व वास्तविक नाम कल्याण सिंह पुत्र किशोरसिंह एवं वादी संख्या 2 का सही व वास्तविक नाम जैतसिंह पुत्र फतेहसिंह है।

प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाब दावे में यह स्पष्ट किया गया कि वादी संख्या 01 बुधसिंह पुत्र किशोरसिंह को बचपन में इस नाम से पुकारते थे इसलिए इनके पिता किशोरसिंह की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण दर्ज करते समय भाइयों के साथ बुधसिंह पुत्र किशोरसिंह दर्ज किया गया। जबकि समस्त सरकारी दस्तावेजो में नाम कल्याणसिंह पुत्र किशोरसिंह कौम राजपूत दर्ज है। इसी प्रकार वादी संख्या 02 को नैनसिंह बोलचाल में कहते थे इसलिए लिख दिया गया, सही नाम जेतसिंह पुत्र फतेहसिंह है। मौका एवं दस्तावेजों के अनुरूप बुधसिंह को कल्याणसिंह एवं नैनसिंह को जेतसिंह किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 16:55:15 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार तहसीलदार जैतारण के जवाब दावा एवं वादी के शपथ-पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कि वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में सह–खातेदार दर्ज वादी संख्या 1 बुधसिंह पुत्र किशोरसिंह का दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम कल्याणसिंह पुत्र किशोरसिंह है एवं वादी संख्या 2 नैनसिंह पुत्र फतेहसिंह का दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम जेतसिंह पुत्र फतेहसिंह है। भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि बुधसिंह पुत्र किशोरसिंह एवं नैनसिंह पुत्र फतेहसिंह के स्थान पर कल्याणसिंह पुत्र किशोरसिंह एवं जेतसिंह पुत्र फतेहसिंह किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सांगावास पटवार हल्का सांगावास तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा संख्या 213 रकबा 21–11 बीघा, खसरा नम्बर 214 रकबा 3–08 बीघा, खसरा नम्बर 217 रकबा 104–17 बीघा, खसरा नम्बर 200 रकबा 41–06 बीघा, खसरा नम्बर 203 रकबा 25–03 बीघा, खसरा नम्बर 215 रकबा 17–14 बीघा, खसरा नम्बर 216 रकबा 0–17 बीघा, खसरा नम्बर 218 रकबा 43–03 बीघा, खसरा नम्बर 218/276 रकबा 1–01 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादीगण के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***''बुधसिंह पुत्र किशोरसिंह''*** एवं **''नैनसिंह पुत्र फतेहसिंह''** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि ***''कल्याणसिंह पुत्र किशोरसिंह''*** एवं **''जेतसिंह पुत्र फतेहसिंह''** दर्ज करते हुये वादीगण को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राजस्थान

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/04/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:55:15 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 21 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

–: वादीगणः–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1. कल्याणसिंह पुत्र किशोरसिंह 2. जेतसिंह पुत्र फतेहसिंह जातियान– राजपूत निवासीगण– डालीया बेरा, सांगावास तहसील–जैतारण जिला–पाली।		1. तहसीलदार जैतारण तहसील कार्यालय जैतारण जिला–पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 393/2019 (143/2019)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री अरूणसिंह राठौड, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व पैरोकार राज. तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सांगावास पटवार हल्का सांगावास तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा संख्या 213 रकबा 21–11 बीघा, खसरा नम्बर 214 रकबा 3–08 बीघा, खसरा नम्बर 217 रकबा 104–17 बीघा, खसरा नम्बर 200 रकबा 41–06 बीघा, खसरा नम्बर 203 रकबा 25–03 बीघा, खसरा नम्बर 215 रकबा 17–14 बीघा, खसरा नम्बर 216 रकबा 0–17 बीघा, खसरा नम्बर 218 रकबा 43–03 बीघा, खसरा नम्बर 218/276 रकबा 1–01 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादीगण के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***''बुधसिंह पुत्र किशोरसिंह''*** एवं **''नैनसिंह पुत्र फतेहसिंह''** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि ***''कल्याणसिंह पुत्र किशोरसिंह''*** एवं **''जेतसिंह पुत्र फतेहसिंह''** दर्ज करते हुये वादीगण को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी होकर निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/04/2021 को जारी किया गया।

माफिक

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:55:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	2.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	9.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:55:15 IST
Reason: SelfAttested